

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 1724/329/आउशि/अनु.बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/08/2018


समस्त प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ-पे बैण्ड प्राप्त सहा.
प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक पदनाम देने बाबत।

---00---

म.प्र. राजपत्र क्रमांक 355 दिनांक 27.8.15 की कण्डिका 12 के अनुसार म.प्र. शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम, 1990 में संशोधन किया गया। संशोधन की कण्डिका क्रमांक 12 में सह-प्राध्यापक पदनाम अंकित है, तथा उनकी आर्हताएं प्रवर श्रेणी में 03 वर्ष की अवधि से ज्यादा होने पर पात्रता होगी। ऐसे सहायक प्राध्यापक जिनको चतुर्थ पे-बैण्ड वेतनमान रूपये (37400-67000+ ग्रेड-पे 9000) प्राप्त है। म.प्र. शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम, 1990 के समान अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों को यू.जी.सी. के नियमानुसार सह-प्राध्यापक पदनाम देने हेतु निम्नलिखित जानकारी अभिलेख सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स.क्र	सहायक प्राध्यापक का नाम, पदनाम एवं विषय	जन्मतिथि	पी.एच.डी. दिनांक	चतुर्थ पे- बैण्ड स्थान का दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6


(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश